

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 - 152/2020(2020/00203)

अनवान :-

गोरीशंकर पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मुंशीराम पुत्र बिंझाराम उर्फ बिंजाराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. सरजीत पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. रोहिताश पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. इन्द्रपाल पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
5. सुभाष पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
6. कमला पुत्री मुंशीराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
7. समेस्ता पुत्री मुंशीराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
8. भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक शाखा छानीबड़ी।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ जयसिंह उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री रोहिताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन सम्वत 2072-75 के वर्तमान खाता संख्या 128/122 के मुरब्बा न0 99 के किला न0 13/1, 17, 18, 23, 24, मुरब्बा न0 123 के किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17/2, 18 इस प्रकार कुल कित्ता 13 की कुल 3.2000 हैक्टेयर बाराणी, इसी प्रकार चक 1 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 75/62 के मुरब्बा न0 26 के किला न0 12/1, 13, 18, 23 मुरब्बा न0 41 के किला न0 3, 4/1 इस प्रकार कुल कित्ता 6 की कुल 1.2650 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मुंशीराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें प्रतिवादी संख्या 1 मुंशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी गोरीशंकर व प्रतिवादी संख्या 2 सरजीत, प्रतिवादी संख्या 3 रोहिताश, प्रतिवादी संख्या 4 इन्द्रपाल, प्रतिवादी संख्या 5 सुभाष को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 6 व 7 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़